

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 22 September 2026

मानसून सत्र में आएंगे 8 बड़े बिल, नया आयकर कानून भी शामिल | टैक्स से लेकर स्पोर्ट्स तक होंगे बदलाव

Publisher

Published on 16 Jul 2025



नई दिल्ली, 16 जुलाई 2025 —

संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। इस एक महीने के सत्र में कुल **21 बैठके** होंगी। मोदी सरकार इस बार 8 बड़े और अहम विधेयकों को पेश करने और पारित कराने की तैयारी में है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है **नया आयकर विधेयक (New Income Tax Bill)**। इसके अलावा स्पोर्ट्स गवर्नेंस और माइनिंग जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

नया इनकम टैक्स बिल : खत्म होंगे जटिल नियम, 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है कानून

सरकार इस बार 1961 से लागू पुराने **इनकम टैक्स एक्ट** को हटाकर एक नया और सरल **आयकर कानून** लाने जा रही है।

- नया बिल फरवरी 2025 में संसद में पेश किया गया था और **संयुक्त संसदीय समिति (JPC)** को भेजा गया था।
- वित्त मंत्री ने कहा था कि नया कानून आम नागरिकों के लिए टैक्स प्रक्रिया को समझना आसान बनाएगा।
- यदि यह बिल इस सत्र में पारित हो गया, तो नया कानून **1 अप्रैल 2026** से प्रभावी हो सकता है।

‘Tax Year’ होगा नया कॉन्सेप्ट, उसी साल देना होगा टैक्स

इस बिल में कई बड़ी चीजें बदलने वाली हैं, जैसे कि:

- अब **फाइनेशियल ईयर (FY)** और **अकाउंटिंग ईयर (AY)** की जगह **'Tax Year'** की अवधारणा लाई जाएगी।
- उदाहरण: अब तक FY 2023-24 की इनकम पर टैक्स AY 2024-25 में भरा जाता है। लेकिन नए नियम में जिस साल इनकम होगी, उसी साल टैक्स भी देना होगा।
- पुराने अप्रासंगिक प्रावधान जैसे **Fringe Benefit Tax** को हटाने का प्रस्ताव भी शामिल है।

खेल और खनिज क्षेत्रों में भी आएंगे बड़े बिल

सिर्फ टैक्स ही नहीं, खेल और माइनिंग सेक्टर में भी बदलाव की तैयारी है। इस मानसून सत्र में निम्नलिखित विधेयक भी पेश होंगे:

- नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल
- नेशनल एंटी-डोपिंग संशोधन विधेयक
- माइन एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधन विधेयक
- इंडियन पोर्ट्स बिल
- और अन्य 8 लंबित बिल, जिनके पारित होने की संभावना है।

विपक्ष उठा सकता है ऑपरेशन सिंदूर और न्यायिक विवाद का मुद्दा

- विपक्ष की ओर से पहलगाम आतंकी हमले और भारत द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान **'ऑपरेशन सिंदूर'** पर चर्चा की मांग की जा सकती है।
- साथ ही, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़ा विवाद भी सदन में गूंज सकता है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.